राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क्र:–6(6)राज–6/92पार्ट/11 जयपुर,दिनांक:– 15.5.07

समस्त जिला कलेक्टर,
राज0।

::परिपत्र::

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तन)नियम, 1992 को विलोपित कर राज0 भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तन) नियम, 2007 जारी किये जा चुके है। उक्त नियमों के अर्न्तगत नियम 9 में जिन प्रकरणों में सपंरिवर्तन किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को है, का स्पष्ट वर्णन किया गया है।

कुछ जिला कलेक्टर द्वारा इस विभाग से यह जानकारी चाही गयी है कि नियम, 2007 जारी करने के पूर्व के 1992 के नियमों के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रकरण जो अन्तिम निर्णय हेतु लबिंत है, के सबंध में क्या कार्यवाही की जावे। इस सबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नये नियम 2007 के तहत जिनमें रूपान्तरण किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को है उन प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र राज्य सरकार के भूमि रूपान्तरण विभाग (राजस्व ग्रुप–9) में पेश किये जायेगें तथा पुराने प्रकरण जो 1992 के नियमों के सबंध में प्रस्तुत किये गये है परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है वे सभी प्रकरण राज्य सरकार को निर्णय/स्वीकृति हेतु भिजवायें जावें।

आज्ञा से

शासन उप सचिव 15.5.07